

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday 7th August, 2000/Shravana 16, 1922(Saka)

No.102

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from the Police Station Parliament Street, New Delhi : -

▪ The following MLAs of Delhi Vidhan Sabha were detained u/s 65 of the D.P. Act at Police Station Parliament Street at 11.30 AM on 5/8/2000 for disobeying the lawful directions of Police namely S/Shri Tarvinder Singh Marwah, Deep Chand Bandhu, Tek Chand Sharma, Naseeb Singh, Smt. Kiran Walia, Ramesh Kumar, Sheesh Pal, Moti Lal Bokolia, Mukesh Sharma, Smt. Meera Bhardwaj, Smt. Tajdar Babar, Subhash Chopra, Smt. Darshna Ram Kumar, Kanwal Singh, Jagdish Anand, Bheeshm Sharma, Mahender Singh Bhattewala, Roop Chand and Mahender Yadav.

They were released at 11.40 AM from the same place on the same day i.e. 5/8/2000."

S.K. SHARMA  
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

---

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलो से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

सोमवार 07 अगस्त, 2000/ श्रावण 16, 1922 ॥ शक ॥

संख्या: 102

सदस्यों की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना संसद मार्ग  
नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्व / श्री तरविन्दर सिंह मारखा  
दीपचन्द बन्धु, टेक चन्द शर्मा, नसीब सिंह, श्रीमती किरण वालिया,  
रमेश कुमार, शीश पाल, मोतीलाल बोकोलिया, मुकेश शर्मा, श्रीमती मोरा  
भारद्वाज, श्रीमती ताजदार बाबर, सुभाष चौपड़ा, श्रीमती दर्शना रामकुमार,  
कवल सिंह, जगदीश आनन्द, भीष्म शर्मा, महेन्द्र सिंह भट्टेवाला, रूपचन्द्र  
एवम महेन्द्र यादव को दिनांक 5.8.2000 को प्रातः 11.30 बजे दिल्ली  
पुलिस अधिनियम का धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों  
की अवज्ञा करने के कारण थाना संसद मार्ग के सामने से नजरबन्द किया गया।

उन्हे वही से उसी दिन अर्थात् 5.8.2000 को प्रातः 11.40 बजे  
रिहा कर दिया गया।

एस.के.शर्मा  
सचिव